न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील सं0–**58/2011**/223 आरटीए

गोविन्द राम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– अपीलांट

बनाम

1. हनुमान पुत्र कुंज बिहारी (फौत)

1/1 भूराराम पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

1/2 लोकेश पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

1/3 उर्मिला पुत्री हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

1/4 सुमित्रा पुत्री हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

1/5 विमला पुत्री हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

1/6 सरला पत्नि हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2. नुरबेगम पत्नि नजीर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. हुसैन पुत्र नजीर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. मोहम्मद पुत्र नजीर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. हुसना पुत्री नजीर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. मुमताज अली पुत्र नजीर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. मुश्ताक अली पुत्र नजीर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. अरसी पुत्री नजीर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. जुबैदा पुत्री नजीर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

10. सलीम पुत्र नजीर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
11. माफी पुत्री नजीर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा प्र0सं. 238/08 अनवानी हनुमान बनाम गोविन्दराम आदि

उपस्थित :—

श्री मदन पारीक अधिवक्ता अपीलांट

श्री भगवान तावणियां अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1/1 से 1/6

श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 ता 7

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 12

निर्णय दिनांकः—16.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 हनुमान ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आरटीाए प्रस्तुत किया कि वर्तमान रोही बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 1216 मे 13.10 बीघा व खसरा नं. 1217 मे 12 बीघा कुल 25.10 बीघा भूमि जरिये पट्टा संख्या 157 दिनांक 06.10.1983 को अस्थाई आवंटन हुई थी जो रेस्पो0/वादी के कब्जा काश्त मे है और लगातार मालकाना व पट्टा नवीनीकरण करवाता चला आ रहा है और आज मौका पर भी काबिज है। रेस्पो0/वादी को खसरा नं. 1217 की 12 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन हो गई शेष 1216 की 13.10 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन नही हो पाई। रेस्पो0/वादी के नाम खसरा नं. 1216 मे भूमि आराजीराज नही होने के कारण जमाबंदी मे दर्ज हो पाई। क्योंकि खसरा नं. 1216 मे गोविन्दराम के नाम दिनांक 04.11.83 को 20 बीघा भूमि अस्थाई आवंटन की गई थी परन्तु सहवन से रिकार्ड मे 26 बीघा भूमि दर्ज होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 के नाम 6 बीघा भूमि ज्यादा दर्ज हो गई जबकि नवीनीकरण 20 बीघा भूमि का ही होता रहा। पटवारी की गलत रिपोर्ट के कारण प्रतिवादी को 6 बीघा ज्यादा भूमि का पुख्ता आवंटन कर दिया। रेस्पो0 सं0 2 ता 11 के पति व पिता नजीर खां पुत्र मीरे खां को दिनांक 20.10.89 को खसरा नं. 1216 मे 18 बीघा व खसरा नं. 1231 मे 25 बीघा कुल 43 बीघा भूमि टीसी पर आवंटित हुई जबकि राजस्व रिकार्ड मे

अंकन 50 बीघा का ही होता रहा है जबकि खसरा नं. 1216 मे 18 बीघा का अंकन होना चाहिए था परन्तु पटवारी ने रिकार्ड को दुरूस्त कर 7 बीघा रकबा कम नही किया जिससे अपीलांट के हितो पर विपरीत असर पड़ा है। रेस्पो0/वादी अपीलांट/प्रतिवादी सं. 1 का नाम 6 बीघा की हद तक तथा रेस्पो0 सं. 2 ता 11 के पिता का नाम 7 बीघा की हद तक कलमजन करवाने का अधिकारी है। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई गलत एवं विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। रोही बड़ोपल के खसरा नं. 1216 मे जो की काफी बड़ा खसरा है, मे से 6 बीघा बारानी अन्य आराजीयात के अलावा अपीलांट को अस्थाई आवंटित हुई थी तथा अंकन भी भू–अभिलेख मे अपीलांट के नाम से हो गया तथा तभी से अपीलांट का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है और आज भी उक्त 6 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त अपीलांट का है। टीसी आवंटन के आधार पर अपीलांट ने पुख्ता आवंटन उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ मे कार्यवाही की जिस पर उपखण्डाधिकारी ने पूर्ण जांच व प्रक्रिया अपनाते हुए दिनांक 26.09.2000 को अपीलांट को पुख्ता आवंटन का आदेश फरमाया तथा समस्त आवंटन राशि जमा होने पर उपजिला कलक्टर पीलीबंगा द्वारा दिनांक 10.02.2006 को खातेदारी प्रदान की गई है। परन्तु विचारण न्यायालय ने बिना हाल जमाबंदी के दावा मे प्रस्तुत ना होने पर भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अगर हाल जमाबंदी दावा हाजा मे प्रस्तुत होती तो वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती। विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के ही अपीलांट को 20 बीघा की बजाय 26 बीघा भूमि आवंटित होने का कयास लगाया है। जबकि अपीलांट को शुरू से ही 26 बीघा भूमि आवंटित थी तथा इतनी भूमि की खातेदारी हकूक प्रदान किये गये है तथा बतौर टीसी होल्डर शुरू से ही भू–अभिलेख मे अपीलांट का नाम अंकित चला आ रहा है। विचारण न्यायालय ने रेस्पो0 सं. 1 हनुमान का नाम भू–अभिलेख मे अंकित ना होते हुए भी उसके टीसी पट्टा एवं नवीनीकरण के आधार पर बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य व खसरा नं. 1216 की पूर्ण भूमि के

विवरण व भू–अभिलेख की नकल के अपीलांट की 6 बीघा टीसी आवंटित व खातेदारी भूमि को बिना किसी दस्तावेज के रेस्पो सं. 1 की मानकर अपीलांट का नाम कलमजन किये जाने का निर्णय व डिक्री पारित कर अहम भूल की है। जो काबिले खारिज है।

4. अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 को टीसी आवंटित भूमि जब से कृषि भूमि आवंटित हुई थी तब से कब्जा काश्त रेस्पो0 सं. 1 का चला आ रहा है और रेस्पो0 को कभी उक्त भूमि से बेदखल नही किया गया। रेस्पो0 सं. 1 को खसरा नं. 1217 की 12 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन हो गई शेष 1216 की 13.10 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन नही हो पाई। रेस्पो0 सं. 1 के नाम खसरा नं. 1216 मे भूमि आराजीराज नही होने के कारण जमाबंदी मे दर्ज हो पाई। क्योंकि खसरा नं. 1216 मे अपीलांट गोविन्दराम के नाम दिनांक 04.11.83 को 20 बीघा भूमि अस्थाई आवंटन की गई थी परन्तु सहवन से रिकार्ड मे 26 बीघा भूमि दर्ज होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 के नाम 6 बीघा भूमि ज्यादा दर्ज हो गई जबकि नवीनीकरण 20 बीघा भूमि का ही होता रहा। पटवारी की गलत रिपोर्ट के कारण प्रतिवादी को 6 बीघा ज्यादा भूमि का पुख्ता आवंटन कर दिया। रेस्पो0 सं0 2 ता 10 के पति व पिता नजीर खां पुत्र मीरे खां को दिनांक 20.10.89 को खसरा नं. 1216 मे 18 बीघा व खसरा नं. 1231 मे 25 बीघा कुल 43 बीघा भूमि टीसी पर आवंटित हुई जबकि राजस्व रिकार्ड मे अंकन 50 बीघा का ही होता रहा है जबकि खसरा नं. 1216 मे 18 बीघा का अंकन होना चाहिए था परन्तु पटवारी ने रिकार्ड को दुरूस्त कर 7 बीघा रकबा कम नही किया जिससे रेस्पो0 सं. 1 के हितो पर विपरीत असर पड़ा है। रेस्पो0 सं. 1 अपीलांट का नाम 6 बीघा की हद तक तथा रेस्पो0 सं. 2 ता 10 के पिता का नाम 7 बीघा की हद तक कलमजन करवाने का अधिकारी है। इसी आधार पर रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी आंशिक स्वीकार कर अपीलांट का 6 बीघा की हद तक नाम कलमजन कर वादी/रेस्पो0 सं. 1 बतौर टीसी होल्डर रिकार्ड करने आदेश पारित किया तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 11/रेस्पो0 सं. 2 ता 11 के धारण मे वादी की कब्जा काश्त की भूमि 7.00 बीघा को खारिज करवाने हेतु वादी नियमानुसार सक्षम न्यायालय मे अपने नाम दर्ज करवाने हेतु

चाराजोही कर सकता है, का आदेश पारित किया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज की जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 ता 7 ने अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 सं. 2 ता 7 के पति व पिता नजीर खां पुत्र मीर खां के नाम से रोही मौजा बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 1216 मे 25 बीघा व 1231 मे 25.00 बीघा कुल 50.00 बीघा भूमि बारानी टीसी पर आवंटन हुई थी। उक्त टीसी का प्रतिवर्ष नवीनीकरण भी होता रहा है। नजीरखां की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम रिकार्ड मे दर्ज हुई तथा पुख्ता आवंटन स्वीकार किया गया। किश्त राशि भी खजानाराज मे जमा करवाई जा चुकी है। टीसी की दिनांक से आज तक उक्त भूमि नजीर खां व उनके वारिसान का ही कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है। रेस्पो0 सं. 1 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत कर नजीरखां को आवंटित भूमि से नाम कलमजन करवाने का अधिकारी नही है।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 12 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

7. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट गोविन्दराम पुत्र गंगाराम को खसरा नं. 1216 मे 20 बीघा रकबा बतौर टीसी आवंटन हुआ था परन्तु रिकार्ड मे अपीलांट के नाम खसरा नं. 1216 मे 26 बीघा रकबा दर्ज कर दिया जबकि अपीलांट को बतौर टीसी आवंटित 20 बीघा रकबा का नवीनीकरण होता रहा है परन्तु रिकार्ड मे 26 बीघा दर्ज रही। इसके विपरीत रेस्पो0 सं. 1 हनुमान पुत्र कुंजबिहारी को खसरा नं. 1216 मे 13 बीघा तथा खसरा नं. 1217 मे 12 बीघा कुल 25.00 रकबा बतौर टीसी आवंटन हुआ था तथा खसरा गिरदावरी से साबित होता है कि रेस्पो0 सं. 1 हनुमान का खसरा नं. 1216 की 13 बीघा रकबा पर कब्जा काश्त है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए अपीलांट के नाम 20 बीघा के स्थान पर दर्ज 26 बीघा भूमि मे से 6 बीघा कम करते हुए 6 बीघा भूमि रेस्पो0 सं. 1 के नाम रिकार्ड मे दर्ज करने का आदेश पारित किया है। चूंकि अपीलांट को बतौर टीसी

20 बीघा रकबा ही आवंटित किया गया था तथा नवीनीकरण भी 20 बीघा रकबा का ही होता रहा है। परन्तु रिकार्ड मे 20 बीघा की बजाय 26 बीघा रकबा दर्ज कर दिया गया जो गलत दर्ज किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बिना किसी औचित्य एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2011 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील सं0–**58/2011**/223 आरटीए

गोविन्द राम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— अपीलांट

बनाम

1. हनुमान पुत्र कुंज बिहारी (फौत)

1/1 भूराराम पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

1/2 लोकेश पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

1/3 उर्मिला पुत्री हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

1/4 सुमित्रा पुत्री हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

1/5 विमला पुत्री हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

1/6 सरला पत्नि हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2. नुरबेगम पत्नि नजीर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. हुसैन पुत्र नजीर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. मोहम्मद पुत्र नजीर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. हुसना पुत्री नजीर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. मुमताज अली पुत्र नजीर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. मुश्ताक अली पुत्र नजीर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. अरसी पुत्री नजीर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

9. जुबैदा पुत्री नजीर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. सलीम पुत्र नजीर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
11. माफी पुत्री नजीर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
प्र0सं. 238/08 अनवानी हनुमान बनाम गोविन्दराम आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री मदन पारीक अधिवक्ता अपीलांट, श्री भगवान तावणियां अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1/1 से 1/6, श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 ता 7 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 12 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2011 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 16.02.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ